राजस्थान में दिव्यागंजन कल्याणकारी नीतियाँ एवं कार्यक्रमः एक सिंहावलोकन

*डॉ. ओमप्रकाश मीणा

सारांश

राज्य की उत्पत्ति के समय से ही राज्य की भूमिका व कार्यों को लेकर विभिन्न मत रहे है लेकिन किसी ने राज्य की भूमिका सीमित करने पर बल दिया तो किसी ने राज्य की भूमिका मानवीय क्षेत्र व हित में बहुआयामी बतायी। विभिन्न मत मतान्तरों के आलोक में वर्तमान में राज्य की जिस भूमिका को सर्व मान्यता प्राप्त है, वह है– राज्य की लोक कल्याणकारी भूमिका राज्य की इस भूमिका के अन्तर्गत राज्य से व्यक्ति के जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पश्चात् तक उसके लाभार्थ जनकल्याण की अपेक्षा की जाती है। विश्व के लोकतांत्रिक राज्यों ने अपनी इस भूमिका का कुशलता से निर्वहन करने का प्रयास किया है और इन राज्यों में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य भारत भी है। परन्तु फिर भी अपने इस ध्येय में पश्चिमी राज्यों के समान भारत को आशानुरूप सफलता अभी तक प्राप्त नही हुईहै क्योंकि हमारे देश में विभिन्न वर्गों के मध्य संसाधनों का समान व समुचित वितरण नहीं हो पाया है दुर्भाग्य की बात तो यह है कि एक वर्ग पर तो नीति–निर्माताओं का ध्यान ही काफी विलम्ब से गया जिसके कारण समाज का यह बहुत बड़ा वर्ग विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, और विकास से इस वर्ग की वंचितता का कारण निःशक्तता (विकलांगता) है,जो कि प्राकृतिक के साथ–साथ मानवीकृत भी है।

संकेताक्षरः– शारीरिक अपंगता, लोक कल्याणकारी, सूलभ्यता, निःशक्तता, सशक्तिकरण, मानसिक, मानवीकृत।

शारीरिक अपंगता, सीमित सक्रियता और सहभागिता में बाधाएं। ये वे शारीरिक अवस्थाएं हैं जो निःशक्तता कहलाती है किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और उनके निहितार्थ उसके दिन प्रतिदिन के सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण में दृ ष्टिगोचर होते हैं। निःशक्तता के बारे में हमारी सोच अब जैव वैज्ञानिक परिदृश्य के हटकर सूलभ्यता, समावेशन और सशक्तिकरण के प्रश्नों पर टिक गई है। सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय लोग और नीति नियंता अब विकलांगता के मुद्दे पर अधिकार आधारित और समावेशन की दृष्टि से विचार करते हैं।

हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग निःशक्तों का है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लगभग 2 करोड़ लोग निःशक्त हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि विश्व के लगभग एक अरब लोग किसी न किसी प्रकार की निःशक्तता के शिकार हैं। शारीरिक विकलांगता को प्रायः सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार से भी जोड़कर देखा जाता है। निर्धनता और विकलांगता का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यह दुखद है कि विकलांग व्यक्तियों को जीवन में शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं के कम अवसर मिल पाते हैं। विकलांग बच्चों के स्कूलों में भर्ती का प्रतिशत महज पांच प्रतिशत है जबकि मुख्यधारा के बच्चों का भर्ती प्रतिशत 90 के आस–पास है।

निशक्तता क्या है?

निःशक्तता को परिभाषित करना कठिन है निःशक्तता को परिभाषित एक निःशक्त से बेहतर कोई नहीं कर सकता कि

निःशक्तता क्या है? वह किस प्रकार निःशक्त है? इसके विभिन्न प्रकार हैं कुछ जन्म से निःशक्त और कई जन्म के बाद हुए निःशक्त । कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी (जिनका इलाज सम्भव है) कुछ दृश्य विकलांग कुछ अदृश्य विकलांग (हिमोफिलया, थैलेसिमिया एवं एड्स)। यथा परिभाषित निःशक्तता के अन्तर्गत अंधता, कमदृष्टि, कुष्ठरोग, अस्थिरोग निःशक्तता, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता को सम्मिलित किया गया है।

"विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के विषय में सबसे पहले **क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता के अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण** (इंटरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एण्ड हैण्डीकेप्ड) में प्रकाशित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था 'क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता की संकल्पना, परिभाषा एवं इनके बीच आपसी सम्बन्ध को बताना।" यह लीनियर मॉडल पर आधारित है।

निःशक्तता व्यक्ति की भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ–साथ उससे सम्बन्धित क्रिया–कलापों से उत्पन्नं एक प्रकार का सामाजिक स्वरूपता है जिसका आंकलन व्यक्ति के मनोसामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो स्थान, समय, परिस्थिति तथा सामाजिक भूमिका से भी सम्बन्धित हो सकती है अर्थात् निःशक्तता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं सम्बन्धी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अतः निःशक्तता का सामाजिक स्वरूप वातावरण को परिलक्षित करता है।

इंटरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेन्ट, डिसेबिलिटीज एण्ड हैण्डीकेप्ड के अनुसार "व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है, उसे विकलांगता कहते है।" इसमें व्यक्ति की स्थिति एवं सामाजिक क्रियाऐं बाधित हो जाती है, जैसे एक व्हील चेयर पर निर्भर व्यक्ति सीढ़ीनहीं चढ़ पाता है, इस कारण वह अपनी सामाजिक भूमिका के कुशल निर्वहन में भी स्वयं का असमर्थ पाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार "जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण इतना पीड़ित हो कि उसकी अपने आप उपयुक्त रोजगार पाने की क्षमता कम हो गई हो निःशक्तता की परिभाषा के दयरे में सम्मिलित किया जाता है।"

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारी संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार "नेत्रहीन व्यक्ति अल्प दृष्टिवान व्यक्ति, कुष्टरोग के उपचार के पश्चात विकलांग व्यक्ति, श्रवण बाधित व्यक्ति अस्थि विकलांग व्यक्ति, मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति और मानसिक रोगी को निःशक्त माना गया है।"

निःशक्तता की सर्वस्वीकार और सबसे ज्यादा गतिशील परिभाषा **मानव के अधिकारों और असमर्थताओं संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** (यूएनसीआरपीडी) में दी गई है। जिसमे कहा गया है कि "असमर्थताओं वाले व्यक्ति में वे लोग शामिल होंगे जिनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा इंद्रियों संबंधी क्षमताऐं लम्बी अवधि के लिए प्रभावित हैं और जिनके कारण दिन–प्रतिदिन आधार पर उनकी समाज के विभिन्न कार्यों में प्रभावशील तरीके से पूरी तरह बाधा पड़ती है।"

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार" **विकलांग व्यक्ति**" का अर्थ दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाला व्यक्ति है जो बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

"**बेंचमार्क विकलांगता वाला व्यक्ति**" का अर्थ चालीस प्रतिशत या उससे अधिक होने वाला व्यक्ति है। एव निर्दिष्ट

विकलांगता जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित कि गया है, जैसा कि प्रमाणित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।"

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांग जनों की व्यापकश्रेणियां बनाता है इनमें से प्रत्येक श्रेणी का अंतर्गत विभिन्न क्षमताओं का आगे वर्णन किया गया है अधिनियम में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य श्रेणी को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग व्यक्ति का अर्थ लंबे समय तक शारीरिक मानसिक बौद्धिक किया संवेदीहीन वाला व्यक्ति है जो बाधाओं के साथ अंतः क्रिया में दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बौद्धिक क्षमता को एक ऐसी स्थिति के रूप में प्रभावित करता है जो बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूल ही व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा के लक्षण है इसमें हर दिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल है।

इसमें अंधापन बौनापन हीमोफीलिया मानसिक बीमारी एसिड विक्टिम एड्स रोगी आदि जैसी 21 अक्षमताएं में शामिल है। विकलांगता इस प्रकार हैं– अंधापन, क़म दृष्टि कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति,श्रवण दोष, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, विशिष्ट सीखने की अक्षमताएं, मल्टीपल स्केलेरोसिस, बोलने और भाषा की अक्षमता,थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, सिकल सेल रोग, बहरा–अंधापन सहित कई विकलांगताऐं, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंसंस रोग आदि।

निःशक्तता के कारण – विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को गति की सुविधा दी है, वहां दुर्घटना भी अनिवार्य रूप से होती रही है। इसी प्रकार घर विद्यालय प्रयोगशाला खेलके मैदान उधोग धंधो या अन्य कार्यो में व्यस्त कोई भी प्राणी कब कहां तथा किस रूप में विकलांग हो जायेगा यह कहना असम्भव है समाज में आज भी 30–40 प्रतिशत निःशक्तो का कोई कारण पता नही चलता है अतः इस निःशक्तता के लिए उत्तरदायी कारणों का निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है।

प्राकृतिक कारण– मानवीय निःशक्तता के लिए प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी मानागया है जिनमें प्रमुख कारण निम्न प्रकार से है–

1. प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, मुखमरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भुकम्प, ज्वालामुखी का आनाव तूफान आदि ऐसे प्राकृतिक कारण है जो मनुष्य को निशक्त बना देते हैं।
2. मानसिक निःशक्तता मानसिक निःशक्तता जन्मजात होती है और यहकोई बीमारी नहीं है बल्कि मस्तिष्क का विकास नहीं होने की अवस्था है जिसका दवाओं से उपचार नहीं किया जा सकता है।
3. मंद बुद्धिताः मंद बुद्धिता मस्तिष्क की एक ऐसी अवस्था है जिससे मस्तिष्क का पूर्णविकास नही होता है।
4. आनुवांशिकता : निःशक्तता के लिए माता–पिता के आनुवांशिक कारक भी प्रभावी होते है जिसके कारण बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त हो सकता है।

अप्राकृतिक कारण/ मानवीकृत कारण–समाज में निःशक्तता के कारणों में प्रमुख रूप से अप्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना जाता है जिनमें से प्रमुख कारण निम्न है–

1. समाज में गरीबी इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

2. यौन शिक्षा एवं शारीरिक विज्ञान की जानकारी के अभाव में गर्भावस्था पर पड़नेवाले प्रभाव से बालक विकलांग हो जाता है।
3. प्रसव पूर्व कारणों से मां की उम्र ज्यादा होना, एल्कोहल काप्रयोग, संक्रमण, धूम्रपान आदि का प्रयोग करना ।
4. प्रसव जनित कारणो में प्रसव दीर्घकाल, कम वजन आदि प्रमुख प्रसवजनितकारण है।
5. गुण सूत्र की विकृति –डाउन सिण्ड्रोम
6. मेटाबालिक डिसआर्डरस
7. दुर्घटनावश
8. टीको के अभाव में ।

भारत निःशक्तजन हेतु प्रावधान–

हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए समता, आजादी, न्याय और गरिमा सुनिश्चत करता है। इसमें विकलांगजन भी शामिल है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव का निहिताशय होगा कि समाज समावेशी नहीं है। भारत के संविधान की धारा 41 रोजगार के अधिकार से संबंधित है। इसके अनुसार कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता को दिया जाना चाहिए। इस धारा में कहा गया है कि अपनी आर्थिक सीमाओं के अंदर रहते हुए राज्य ऐसा कारगर माहौल पैदा करेगा कि सभी को आर्थिक क्षमता और विकास तथा काम करने का अधिकार प्राप्त होगा और जिन सामनों में लोग पात्र होगें उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता मिल सकेगी।

विकलांगता मुख्य रूप से राज्य सूची का विषय है। संविधान की सातवीं अनुसूची (राज्य सूची) की दूसरी सूची में नौवें स्थान पर बेकारी और विकलांगता की चर्चा आती है। संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में भी विकलांगता की चर्चा की गई है। यह अनुसूचियां पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। 11वीं अनुसूची की प्रवष्टि संख्या 9 में विकलांगों और मंदबुद्धि सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा की बात कही गई है।

इस क्षेत्र में चार कानून बनाये गये हैं। यह हैं भारत की पुनर्वास परिषद, 1992, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, विकलांगजनों के लिए समान अवसर (अधिकारों की रक्षा और उनकी पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 ऑर्टिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और मंदबुद्धिता तथा बहुआयामी विकलांगता अधिनियम, 1999 और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1997। इनमें से पहले 3 अधिनियम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं। जबकि चौथा कानून स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। भारत ने विकलांग व्यक्तियों को सशक्तिकृत करने की प्रबल प्रतिबद्धता जताई हुई है जिसे देखते हुए मई, 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत विकलांग मामलोंसे संबंधी विभाग बनाया गया जो उनसे संबंधित नीतिगत मुद्दों और उन्हें लागू करने पर जोर देता है।

2006 की विकलांग व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति में इस बात को मान्यता दी गई है कि विकलांगजन भी इस देश के मूल्यवान मानव संसाधन है और ऐसा वातावरणबनाने की बात कही गई है जिसमें उन्हें समान अवसर मिल सकें, उनके अधिकारों की रक्षा हो और समाज में उनकी पूरी भागीदारी हों। यह नीतियां समानता, स्वतंत्रता,

न्याय औरव्यक्तियों की गरिमा वाले बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है और इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। निहितार्थ यह है कि इनके जरिये ऐसे समावेशी समाज के निर्माण की बात कही गई है जिसमें विकलांगों को समान अवसर मिलें। इस नीति में इस तथ्य को भी मान्यता दी गई थी कि अधिकांश विकलांगजन भी अच्छे गुणवत्ता वाला जीवन बिता सकते हैं। बशर्ते कि इनके अनुरूप समान अवसर मिल सकें और इसके लिए समाज . उन्हें पुनर्वासित करने के कारगर उपाय करे। इस विभाग को मुख्य रूप से यही काम सौंपा गया है कि वह विकलांगों को समाज के लिए उत्पादक सदस्यों के रूप में जीवन बिताने के लिए गरिमापूर्ण समान अवसर प्रदान करे ताकि वह समाज के उपयोगी सदस्य बन सकें और उन्हें शारीरिक विकास, पुनर्वास और शिक्षा तथा आर्थिक विकास के अवसर मिलें।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक संगठन कान कर रहे हैं। इनमें विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त का कार्यालय, भारत की पुनर्वास परिषद, ऑर्टिज्म, सेरेब्रेल पाल्सी, मंदबुद्धिता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए समर्पित रूप से काम करने वाले आठ राष्ट्रीय संस्थान, विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय और जिला स्तर के केन्द्र तथा 199 जिलों में स्थित विकलांग पुनर्वास केन्द्र औरमिलेजुले क्षेत्रीय केन्द्र शामिल हैं।

ऐसा माना जाता है कि बेहतर माहौल बनाने से विकलांगजनों की मुश्किलें कम हो सकती हैं। इसलिए केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र में न्योजित ढंग से कई पहल की हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न हैं–

- दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना
- विकलांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद और फिटिंगके लिए वित्तीय सहायता (एडीआपी) योजना
- विकलांगजन अधिनियन कार्यान्वयन योजना
- विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निजि क्षेत्र केन्यौक्ताओं को प्रोत्साहन देने की योजना
- नेशनल फंड/ट्रस्ट फंड के अंतर्गत विकलांग छात्रोंको राष्ट्रीय छात्रवृत्ति देने की योजना

भारत में निःशक्तजन कल्याणार्थ नीतिः–

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की निःशक्तजनकल्याण नीति

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम समाज के अत्यतं अभावग्रस्त वर्गों अर्थात बच्चों, महिलाओं निःशक्तजनों वृद्धों और सामाजिक रूप से असमंजित लोगों के लिए निर्दिष्ट है। इस मंत्रालय ने पिछले वर्षों से सामाजिक न्याय एवं कल्याण सेवाओं को उत्तरोत्तर विकासोन्मुख बनाया है। मंत्रालय ने कल्याण सेवाओं के कार्यान्वयन में स्वंय सेवी संस्थाओं को भी बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन एवं सहायता दी है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय पर अधिकारिता मंत्रालय की स्थापना 14 जून 1964 में सामाजिक सुरक्षा विभाग के रूप में की गई थी तथा 24 अगस्त 1979 में समाज कल्याण मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया। सन 1983–84 में इसका नाम समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय कर दिया गया एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कर दिया

गया। वर्तमान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 25 मई 1998 को गठित किया गया ।

केन्द्रीय मंत्रालय का कार्य वर्तमान में दो विभागों द्वारा संचालित **14 मई 2012** से किया जा रहा है :–

1. समाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग
2. निःशक्तजन कल्याण आयोग

निःशक्तता के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनुसंधान करने तथा प्रशिक्षण और पुर्नवास देने के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है जिनमें प्रमुख संस्थान निम्न प्रकार है–

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (NIVH)
2. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (NIMH)
3. अलीयावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (NIHH) कोलकाता ।
4. श्याम प्रताप मुखर्जी राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (NIOH) कोलकाता।
5. पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली।
6. राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (NIRTAR) कटक

इस मंत्रालय की आयोजना, अनुसंधान मूल्याकन तथा निगरनी प्रभाव पर आयोजना बनाने, अनुसंधान तथा मूल्याकंन अध्ययन प्रायोजित करने, आंकडों को एकत्र करने तथा उनका संकलन करने संकलन का प्रकाशन करने, निःशक्तजन पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा कल्याण सेवाओं का संचालन करने का उत्तरदायित्व ले रखा है।

राजस्थान के सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निःशक्तजनकल्याण नीति

राज्य में निःशक्तता की स्थिति वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में **15,63,694** निः शक्तजन है जिनमे **8,48,287 पुरूष एवं 7,15,407** महिलाएं हैं।

राजस्थान में 1950 में पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापनाकी गई है। बाद में 1956 में इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया एवं वर्तमान में 21.7.2007 से इसका नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया गया। इस विभाग द्वारा निः शक्तजन कल्याणार्थ कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

विभाग द्वारा निः शक्तजन कल्याणार्थ योजनाऐं

1. विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पुरूस्कार योजना निःशक्तजन में अभिप्रेरणास्वरूप चलाई जा रही है।
2. निःशक्तजन छात्रवृति एवं पेशन योजना आर्थिक सहायता के तहतचलाई जा रही है।
3. निःशक्तजनों के स्वावलम्बी होने के लिए कृत्रिम उपकरण हेतु विश्वास योजना के रूप में आर्थिक सहायता दी जा रही है।
4. निःशक्तो को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने हेतु पोलियो करेक्सन केम्प आयोजित किये जा रहे है।

5. ब्रेलप्रेस की स्थापना एवं निःशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण ।
6. निःशक्तजन का वैवाहिक परिचय सम्मेलन एवं विवाह आयोजन ।
7. चिन्हीकरण योजना का शुभारम्भ वर्ष 1995–96 में किया गयाहै।
8. स्वरोजगार हेतु गुमटिया एवं कियोस्क आवंटन योजना
9. मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण केन्द्र, जयपुर में स्थापित किया गया है।
10. राजस्तरीय संदर्भ केन्द्र की स्थापना जयपुर में की गई है।
11. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा योजना ।

निःशक्तजनों हेतु अन्य योजनाऐं/सुविधाऐंः–

अ. स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान ।

ब. राज्यस्तरीय पुरूस्कार योजना ।

स. निःशक्तो के प्रशिक्षण हेतु अध्यापको के राज्य स्तरिय प्रशिक्षणकेन्द्र।

द. जिला पुर्नवास केन्द्र कोटा ।

य. नेत्रहीन के लिये नये शिक्षण संस्थानों की स्थापना।

र. आस्था योजना ।

ल. आवासीय विद्यालयों की स्थापना ।

व. मूक बधिरों के लिए विशिष्ट शिक्षण संस्थान ।

उपरोक्त प्रशिक्षण एवं पुनर्वास योजनाओं एवं सुविधाओं के अतिरिक्त भी राज्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अन्य निःशक्त जन कल्याण कार्यक्रम एवं योजनाओ का निरूपण एवं नवीन योजनाओं का नियोजन कर रहा है।

राजस्थान मे जिला स्तरीय एवं स्थानीय स्तर पर निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रम/नीतियाँ

केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में वर्ष 1987 में जिला पुनर्वास केन्द्र, कोटा की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र के शरीरिक एवं मानसिक निःशक्त व्यक्तियों के उपचार. शिक्षण पुर्नवास की व्यवस्था एवं निःशक्तो को नियोजन की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु की गई थी। केन्द्र द्वारा विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग और उपकरण तैयार कर निःशक्तो को निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। **वर्ष 1993–94 में राज्य स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र की जयपुर स्थापना** की गई है। जिसके अन्तर्गत उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर एवं झुंझुनु जिलों का चयन किया गया है।

इस केन्द्र का उदेश्य विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक निःशक्तों की पहचान, रोकथाम एवं उनके शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना और उनके लिये उपलब्ध साहित्य का संकलन एवं प्रचार प्रसार करना है। इसके अलावा जिला स्तरों पर भी अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी निःशक्तजन कल्याण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रमों का निम्न स्तर पर क्रियान्वित करने के उद्देश्य से प्रत्येक

ब्लॉक में दो बहुउद्देश्य पुर्नवास कार्यकर्ता व ग्राम पंचायत स्तर के पुर्नवास कार्यकर्ता. जिला ऐजेंसी के अधीन कार्य करते है। जिलें की त्रेमासिक प्रगति सूचना जिला संदर्भ केन्द्र द्वारा राज्य संदर्भ केन्द्र को दी जानी आवश्यक है। जिसके अनुसार जिला संदर्भ केन्द्र निःशक्तजन नीतियों का प्रारूप तैयार कर उनका नियोजन एवं अनुमोदन करता है।

कई बार सिद्ध को चुका है कि विकलांगता अयोग्यता की निशानी नहीं है। आइंस्टीन, मोजार्ट, न्यूटन डार्विन और माइकल एंजेलो इन सभी में कौन सी बात समान हैं? कहने कि ये सभी अपने–अपने क्षेत्र में महारथी थे। लेकिन इसके अलावा उनमें एक बात और समान थी और वह थी कि ये सभी स्वलीन अथवा ऑटिस्टिक थे। बीथोवेन बधिर होते हुए भी एक महान संगीतकार बन सके। दृष्टिहीनता जॉन मिल्टन को एक महान कवि बनने से नहीं रोक सकी। महाकवि बायान को चलने में कुछ समस्या थी परंतु अपने साहित्य का रसास्वाद लोगों को कराने के लिए वह पूरे विश्व में घूमा करते थे। स्टीफन हॉकिंग और हेलन केलर के ब ा रे में क्या कहा जाए, एक मुक–बधिर और कीलचेयर से कंधा महा–वैज्ञानिक तो दूसरी मूक–बधिर विश्व की महान लेखिकाओं मेंसे एक महान योद्धा तैमूर चलने में असमर्थ था तथा नेपोलियन बौना था। ऋषि अष्टावक्र, सूरदास, लुई ब्रेल जैसे विकलांगों ने समाज को इतना अधिक दिया कि समाज के पास इसका लेखा–जोखा नहीं है। ऐसे महारथियों की सूची अनंत है जिन्होंने शरीर के किसी अंग के क्रियाशील न होने के बावजूद अपनी अदम्य प्रतिभा और विपरीत परिस्थितियों में भी अजेय बने रहे। इन विभूतियों ने न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया बल्कि एक बेहतर विश्व के निर्माण में भी अमूल्य योगदान किया। निश्चय ही विकलांगता शारीरिक रूप से लोगों से उतना नहीं छीनती जितना सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वह उन्हें प्रभावित करती है। विकलांग व्यक्ति अक्सर अपने मानवाधिकार का पूरा–पूरा उपभोग करने से वंचित हो जाता है।

विश्व में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से प्रत्येक दस में से एक बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग होता है। इस तथ्य से ही विकलांगता की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है। यहीं कारण था कि वर्ष 1981 को **'अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष'** घोषित किया गया। इन विकलांग बच्चों का इस प्रकार से पालन–पोषण व शिक्षित करना आवश्यक है कि वे समाज के क्रियाशील सदस्य बन सकें तथा कुशल जीवनयापन के साथ समाज एवं राष्ट्र की प्रगति में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। भारत में विकलांगता की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विश्वका हर आठवाँ विकलांग भारतीय है । हालांकि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समानता की गारंटी दी गई है लेकिन वास्तविकता यह है कि विकलांग लोगों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों से कलंक भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। विकलांगता के साथ अंगर भेदभाव भी हो तो अक्षमता की मात्रा दुगुनी हो जाती है। लोगों की सामान्य अवधारणा और पूर्वाग्रहों के चलते विकलांग व्यक्ति के प्रति होने वाले भेदभाव का मूल्यांकन कम करके आंका जाता है।

वर्तमान समय में समाज की विकलांगता के प्रति सोच उचित नहीं है।

यही कारण है कि समाज में विकलांगता को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। मानव की विकलांगता के प्रति सही सोच उन्नति का एक नया अध्याय खोल सकती है कर्तव्य की कहीं भी इति नहीं है फिर भी कुछ विशेष उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें निभाना अधिक प्रशंसनीय, अनुकरणीय एवं आत्मसन्तुष्टि का साधन है। ऐसा ही एक दायित्व समाज द्वारा उपेक्षित दीन–हीन, प्रकृति–पीड़ित विकलांग बालक के प्रति है। ऋग्वेद में कहा भी गया है कि सृष्टि में जो भी अपंग, अन्धे, लूले लंगड़े, बहरे आदि है वे समाज में घृणा के पात्र नहीं, हमें उनके साथ सहृदयतापूर्वक मानवता का व्यवहार करना चाहिए अर्थात् समाज विकलांगों के प्रति सद्भाव रखकर उन्हें पुरुषार्थी और शिक्षित बनाये।

निष्कर्ष–

स्वतंत्रता के पश्चात दिव्यांगजन पुनर्वास हेतु स्थापित नीतियाँ, नियम एवं कानूनों के द्वारा दिव्यजनों को शिक्षा, रोजगार एवं दिव्यांगता रोकने और गम्भीर रूप से दिव्यांग लोगों की देख–रेख करने एवं उनका पुनर्वास करने का प्रावधान है। किन्तु उपरोक्त नीतियों एवं कानूनों की सही और पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इसी वजह से कानून दिव्यांग हितकारी है, उनका लाभ सभी दिव्यांगजनों को नहीं मिल पा रहा है। विशेष तौर से ग्रामीण भारत के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने भी दिव्यांगजनों के लिए अनेक प्रयास किये है जैसे राजस्थान दिव्यांगजन विश्वविद्यालय, जयपुर, डेयरी आवंटन एवं आवासन आवंटन विशेषजनों को आवास आवंटित कर रही है। साथ ही दिव्यांगजनों को अनेक प्रकार की सुविधा एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

***सह–आचार्य**
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा,
जयपुर (राज.)

संदर्भ सूची

1. मेस्लो, अब्राहमः टुवाईस ए साइकॉलोजी ऑफ बींग, डी वेन नास्टरलेण्ड कम्पनी न्यूजर्सी, 1962.
2. सिंह, जगतः समस्याग्रस्त बालक, प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1994
3. श्रीवास्तव, डी.एन. : असामान्य मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2001
4. नेशनल पॉलिसी फोर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, 2005.
5. शर्मा, अभिषेकः सोशियल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, शिवांक प्रकाशन, दिल्ली, 2005
6. सचदेवा, डी.आरः सोशियल वेलफेयर एडमिनिसट्रेशन इन इण्डिया, किताब महल, नई दिल्ली, 2005
7. कटारिया, सुरेन्द्र : सामाजिक प्रशासन, आरबीएसए पब्लिकेशन, जयपुर, 2007
8. मुख्य निःशक्तजन कार्यालय, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट, 2008.
9. शर्मा, मधुलिकाः मानसिक मन्द बालक अवधारणा, पहचान एवं पुनर्वास, कनिष्क पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नई दिल्ली, 2009
10. शर्मा, मधुलिकाः वाणी दोष युक्त एवं दृष्टि अक्षय बालक अवधारणा, पहचान एवं पुनर्वास, कनिष्क पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर, नई दिल्ली, 2009